न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 234/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गंगा उर्फ झमकू पत्नी रामाराम पुत्री देवा जाति मेघवाल निवासी हेमावास तहसील सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. इसा पुत्र वदरा 2. नोनजी पुत्र नीम्बा 3. पता पुत्र वरदा 4. पारू पत्नी धना 5. लछमी पत्नी वरदा 6. वेरसी पुत्र वरदा 7. सालू पुत्र धना 8. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा प्रबंधक धोरीमन्ना। 9. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थीनी वकील –श्री आम्बाराम पूनड़

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24/12/2025

प्रार्थीनी गंगा उर्फ झमकू पत्नी रामाराम पुत्री देवा जाति मेघवाल निवासी हेमावास तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि " **सरहद मौजा हेमावास पटवार क्षेत्र फागलिया भू अभिलेख क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में प्रार्थीनी के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खाता संख्या 29 खसरा नम्बर 104 रकबा 11.1127 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम व खसरा नम्बर 72 रकन 0.3561 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के आये हुऐ है। उक्त आराजी में प्रार्थीनी का नाम गंगा दर्ज करना था जो रेकर्ड तज्वीज करते वक्त हल्का पटवारी व राजस्व एजेन्सी ने लिपिकीय भूल से प्रार्थीनी के खसरा नम्बर 104 व 72 में प्रार्थीनी का नाम गंगा की जगह झमकू दर्ज कर दिया, जो लिपिकीय भूल से गलत दर्ज कर दिया है, तथा प्रार्थीनी का नाम झमकू कभी नहीं रहा है, प्रार्थीनी का वास्तविक नाम गंगा ही है। गंगा व झमकू एक ही महिला के नाम है जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थीनी गंगा के आधार कार्ड, पहचान कार्ड, जन आधार कार्ड व जॉब कार्ड इत्यादि लेकिन राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल से प्रार्थीनी गंगा का नाम गलत लिख देने से प्रार्थीनी उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त करवानें का हकदारी होने से प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीनी के खसरा नं. 104 व 72 में प्रार्थीनी का नाम गंगा की जगह झमकू दर्ज कर देने से प्रार्थीनी को तरह तरह–तरह की उलझने पैदा होती है जिससे प्रार्थीनी को पी.एम किसान बीमा योजना का फायदा लेने, गिरदावरी लगान इत्यादि में हर जगह उक्त लिपिकीय त्रुटि से दुविधा पैदा होती है, जिससे प्रार्थीनी अपने नाम**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:13:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

रैकर्ड दुरूस्ती करवाने की हकदारी होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त रेकर्ड दुरूस्ती करने से नहीं राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव पड़ता है न ही उक्त खसरो के सहखातेदार के हिस्सों में कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसी सूरत में उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करना न्याय संगत है तथा प्रार्थीनी के आधार कार्ड, पहचान कार्ड, जन आधार कार्ड व जॉब कार्ड में प्रार्थीनी का वास्तविक नाम गंगा ही हैं। उक्त लिपिकीय भूल की हमें कतई जानकारी नहीं रही तथा न ही हमनें कभी रेकर्ड का पठन करवाया। अभी के.सी.सी. करवाने गये व जमाबंदी की नकलें इत्यादि ली तो ज्ञात हुआ कि हमारे खाते में उक्तानुसार लिपिकीय त्रुटि रह गई है। जिससे मैं उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवानें का हकदार होने से एवं उक्तानुसार दुरूस्ती किये जानें योग्य होनें से प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि खाता संख्या 29 खसरा नम्बर 104 रकबा 11.1127 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम व खसरा नम्बर 72 रकबा 0.3561 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम आराजी में प्रार्थीनी का नाम गंगा की जगह झमकू गलत दर्ज करने पर की गई लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कर प्रार्थीनी का नाम झमकू की जगह गंगा को राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर प्रार्थीनी का नाम झमकू को दुरूस्त करनें का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।''

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2025/1776 दिनांक 01.09.2025 द्वारा प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ. /2025/1104 दिनांक 08.10.2025 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **''मौके पर उपस्थित मौके पर उपस्थित प्रार्थीनी गंगा उर्फ झमकू व मोतबरानों ने बताया कि पटवार मण्डल फागलिया के राजस्व ग्राम हेमावास के खसरा संख्या 104 रकबा 11.1127 हैक्टेयर, खसरा संख्या 72 रकबा 0.3561 हैक्टेयर जुमले रकबा 11–4688 हैक्टेयर में प्रार्थीनी गंगा उर्फ झमकू पुत्री देवाराम का 1/4 हिस्सा रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीया का हिस्सा इनके पिता देवाराम के फौतगी नामान्तरकरण दर्ज होने से दर्ज हुआ है। नामान्तरकरण दायर करते वक्त भूलवश गंगा की जगह झमकू दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम गंगा पुत्री देवाराम है। प्रार्थीनी के आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड संख्या 724907035833, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में गंगा नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेजों में प्रार्थीनी का नाम गंगा पत्नी रामाराम दर्ज है, जो कि देवाराम की पु[illegible] प्रार्थीया गंगा को बचपन में झमकू नाम से पुकारते थे, जिससे उक्त अशुद्ध नाम राजस्व [illegible] हुआ। अतः राजस्व ग्राम हेमावास के खसरा संख्या 104 रकबा 11.1127 हैक्टेयर खसरा संख्या 72 रकबा 0.3561 हैक्टेयर जुमले रकबा 11.4688 हैक्टेयर में खातेदार झमकू पुत्री देवाराम के स्थान पर गंगा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

पुत्री देवाराम दर्ज किया जाना उचित है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाए गए।"

प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीनी अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र 234/2025 उनवान गंगा उर्फ झमकू बनाम इसा वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रार्थीनी गंगा उर्फ झमकू पत्नी रामाराम पुत्री देवा जाति मेघवाल निवासी हेमावास तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के खातेदारी खेत मौजा हेमावास, पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया जिला बाड़मेर के खाता संख्या नया 29, खसरा संख्या 104 रकबा 11–1127 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 72 रकबा 0–3561 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी का नाम झमकू पुत्री देवाराम के स्थान पर गंगा पुत्री देवाराम दर्ज करने के आदेश दिए जाते है, तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/1104 दिनांक 08.10.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.09.2025 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:33:12 IST
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

पुष्टि कार्य

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

मौका फर्द

आज दिनांक को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक/मु.अ./884-885 दि० 01-09-25 एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 234/2025 श्रीमती गंगा उर्फ झमकू बनाम इत्या वगैरा अन्तर्गत धारा 136 RLR Act में नाम दुरुस्ती की मौका रिपोर्ट तैयार करने मौके पर आये।

मौके पर उपस्थित प्रार्थीया गंगा उर्फ झमकू व मौतबीरान ने बताया कि पटवार मण्डल फागलिया के राजस्व ग्राम हेमावास के खसरा संख्या 104 रकबा 11.1127 हेक्ट खसरा नं 72 रकबा 0.3561 हेक्ट कुल रकबा 11.4688 हेक्ट में प्रार्थीया गंगा उर्फ झमकू पुत्री देवाराम का 1/4 हिस्सा रेकर्ड में दर्ज है प्रार्थीया का हिस्सा इसके पिता देवाराम के फौतेदगी नामान्तरण दर्ज होने से दर्ज हुआ है नामान्तरण दायर करते वक्त गलती से गंगा की जगह झमकू दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम गंगा पुत्री देवाराम है। प्रार्थीया के आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड सं. 7249 0793 5833, जनाधार कार्ड राशन कार्ड इत्यादि में गंगा नाम दर्ज है।

उपरोक्त दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम गंगा पत्नी रामाराम दर्ज है जो कि देवाराम की पुत्री है।

प्रार्थीया गंगा को बचपन मे झमकू नाम से पुकारते थे जिससे उक्त अशुद्ध नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ

अतः राजस्व ग्राम हेमावास के खसरा नं. 104 रकबा 11.1127 हे० ख.नं. 72 रकबा 0.3561 हेक्ट कुल रकबा 11.4688 हेक्ट में खातेदार झमकू पुत्री देवाराम के स्थान गंगा पुत्री देवाराम दर्ज किया जाना उचित है।

मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अ.नि. अंकित करवाये गये।

तहसीलदार म.उ. सेड़वा

09/09/25

LR फागलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:33:12 IST
Reason: SelfAttested

नि. गंगादेवी

दिलीप

रामाराम

प्रकाश

राजुराम